सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 938 राँची, मंगलवार, 14 अग्रहायण, 1939 (श०)

5 दिसम्बर, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

15 जुलाई, 2016

विषय - राज्य में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से आच्छादित लाभुकों को चीनी वितरण योजना के तहत् चीनी की पैकिंग में बदलाव की स्वीकृति ।

संख्या-06/06/चीनी(निविदा/2016-17)-01-2016-खा.आ.-2717-- भारत सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशानिर्देश के अनुरूप जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के चिन्हित लाभुकों के बीच चीनी के वितरण हेतु विभागीय संकल्प संख्या 3101, दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 एवं विभागीय संकल्प संख्या 828, दिनांक 13 मार्च, 2015 निर्गत किया गया है ।

2. विभागीय संकल्प संख्या 828, दिनांक 13 मार्च, 2015 की कंडिका-11 में चीनी की पैकिंग के संबंध में निम्न प्रावधान हैः-

I. इकाई पैक-शुद्ध 1 (एक) किलोग्राम के पोलीथीन (60 माईक्रोन) पैक मे होगा ।

II. मास्टर पैक 50 किलोग्राम का New HDPE बैग में, जिसमें एक-एक किलोग्राम के 50 पैकेट उपलब्ध रहेगा। प्राप्त होने वाले मास्टर पैक की संख्या का 1 (एक) प्रतिशत खाली पॉली पैक आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ताकि बैग के फट जाने की स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जाय ।

3. वर्तमान में चीनी का बाजार मूल्य विगत वर्ष की अपेक्षा अधिक है। उपरोक्त पैकिंग में चीनी प्राप्त करने पर चीनी का मूल्य अधिक प्राप्त हुआ है । विभाग द्वारा NeML प्लेटफॉर्म पर चीनी की खरीद हेतु कराये गये रिवर्स ऑक्शन में 50 किलोग्राम के साधारण बैग में आपूर्ति करने पर रु० 3810.61 प्रति क्विंटल की औसत दर प्राप्त हुई है जबकि एक किलोग्राम के (उपरोक्त कंडिका-2 में उल्लेखित विशिष्टताओं के साथ) पैकिंग में चीनी की औसत दर रु० 4561.25 प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है। इस प्रकार मात्र पैकेजिंग की विशिष्टताओं के कारणवश रु० 750.64 प्रति क्विंटल का अधिक मूल्य प्राप्त हुआ है जो कि अंततोगत्वा लाभुकों को वहन करना पड़ेगा ।

4. उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 828, दिनांक 13 मार्च, 2015 में आंशिक संशोधन किया जा रहा है ।

5. विभागीय संकल्प संख्या 828, दिनांक 13 मार्च, 2015 की कंडिका-11 को विलोपित किया जाता है ।

6. विभाग द्वारा समय-समय पर 1 किलोग्राम के पैकेट में या 50 किलोग्राम के बोरा में या अन्य पैकेजिंग/मात्रा में चीनी की आपूर्ति प्राप्त करने का निर्णय लिया जायेगा ।

7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी (अन्य वस्तुएँ) के विचलन को रोका जाना एवं निर्धारित मात्रा व दर पर उपलब्धता निम्न वर्णित कार्रवाईयों के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी-

(i) सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन का अधिष्ठापन।

(ii) खाद्यान्नों के परिवहन के मॉनिटरिंग हेतु डोर स्टेप डिलिवरी के सभी वाहनों में GPS प्रणाली का अधिष्ठापन ।

(iii) सभी गोदामों में सही मात्रा में खाद्यान्न की प्राप्ति एवं निर्गमन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन का अधिष्ठापन ।

(iv) भण्डार निर्गमन आदेश एवं डिस्पैच आर्डर टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन।

(v) लाभुकों तक खाद्यान्न की सही मात्रा पहुंचाने हेतु आधार आधारित हैण्डहेल्ड डिवाईस का अधिष्ठापन ।

(vi) राज्य, जिला, प्रखण्ड एवं वार्ड/पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा अनुश्रवण ।

(vii) पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के प्रत्यायोजन के आलोक में उनके द्वारा निगरानी एवं पर्यवेक्षण ।

8. योजना-सह-वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में उपरोक्त कंडिका-7 में अंकित व्यवस्था/प्रणाली का अनुपालन/अधिष्ठापन यथाशीघ्र कर लिया जायेगा । साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर गठित सतर्कता समितियाँ चीनी वितरण योजना का सघन पर्यवेक्षण करेंगी एवं इस हेतु औचक निरीक्षण भी कर सकेंगी ।

9. विभागीय संकल्प संख्या 828, दिनांक 13 मार्च, 2015 को इस हद तक संशोधित माना जाय ।

10. उक्त पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 12 जुलाई, 2016 की बैठक के मद संख्या 01 में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 938--200